

12-3-20
12-3-20

नही किया गया है। प्रकरण में कोई भी आदेश पारित होने से प्रार्थीगण के हित प्रभावित होना संभावित है। प्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित करने से न्यायालय के समक्ष प्रकरण के सही तथ्य प्रकट होंगे जो कि न्याय निर्णयन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अतः इस स्थिति में न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील में बतौर रैस्पोंडेंट के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। अभिभाषक अपीलांत संशोधित अपील मीमो प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा दिनांक 19-01-2026 को पेश हो।

(Handwritten signature)

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर

19-1-26 पत्रावली पेश हुई पूर्व आदेश की पालना में अभिभाषक अपीलांत द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र किया गया। जिसकी प्रति अभिभाषक रैस्पोंडेंट को भी जमा पत्रावली वाले एटल आदेश 22-1-26 को पेश हो। ✓

22/1/26

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक रैस्पोंडेंट उपस्थित अभिभाषक अपीलांत को बार-बार आवाजे लगावें गईं किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम (पुस्तक) व अदम हाजरी में खरिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से उम टाउर दारिजल दफ्तर हो। *(Handwritten signature)*

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

